भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 121

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

कृषि क्षेत्र से बैंकों को ऋण प्रवाह संबंधी आंकड़े

121. डॉ. के. सुधाकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों प्रकार के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो वर्ष 2004-2014 और 2014-2024 की अवधि के दौरान इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास कर्नाटक के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान किए जाने से संबंधित कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह नोट किया है कि आज भी कुछ बैंक किसी किसान को ऋण प्रदान किए जाने की पात्रता को तय करने के लिए उसके सीआईबीआईएल स्कोर पर भरोसा करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए सीआईबीआईएल स्कोर की शर्त को समाप्त करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) कर्नाटक राज्य में चिक्कबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए गए कृषि ऋण की कुल राशि कितनी है तथा बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

*****

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): ऋण प्रवाह का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2009 से 2023 तक की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी आँकड़े अनुबंध- II में दिए गए है।

(ग) से (ड़): बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों, व्यापक विनियामकीय दिशानिर्देशों और सांविधिक प्रावधानों के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लेते है। आरबीआई ने किसानों को कृषि ऋण देने के लिए ऋण सूचना कंपनियो से क्रेडिट स्कोर की अपेक्षा से संबंधित कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किया है। तथापि, आरबीआई ने 27 जून 2014 के अपने परिपत्र के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक से अधिक ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) से ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं/ऋण नीतियों में शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि ऋण संबंधी निर्णय प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर लिया जा सके। इसके अलावा, आरबीआई ने दिनांक 1.4.2024 के अपने परिपत्र के तहत बैंकों को "बेबाकी प्रमाणपत्र" से इतर ऋण मूल्यांकन कार्य के भाग के रूप में सम्यक तत्परता वाले वैकल्पिक फ्रेमवर्क का उपयोग करने की सलाह दी। सीआईसी के माध्यम से क्रेडिट हिस्ट्री की जाँच सुझाए गए ऐसे वैकल्पिक फ्रेमवर्क में से एक है। निर्वाचन क्षेत्र-वार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

*****

अनुबंध-I

बैंकों से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के ऑकड़ो से संबंधित दिनांक 22.7.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 121 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 2004-2024 की अवधि के लिए देश में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को कृषि ऋण के संवितरण ब्यौरा।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	**फसल ऋण**	**सावधि ऋण**	**कुल ऋण**
1	2003-04	26,192	26,249	52,441
2	2004-05	38,791	42,690	81,481
3	2005-06	57,640	67,836	1,25,476
4	2006-07	92,846	73,639	1,66,485
5	2007-08	1,16,966	64,121	1,81,087
6	2008-09	1,47,818	81,133	2,28,951
7	2009-10	1,89,908	95,892	2,85,800
8	2010-11	2,28,391	1,17,486	3,45,877
9	2011-12	2,66,928	1,01,688	3,68,616
10	2012-13	3,14,950	1,17,540	4,32,490
11	2013-14	3,64,164	1,63,342	5,27,506
12	2014-15	4,15,736	1,88,640	6,04,376
13	2015-16	4,19,931	2,23,024	6,42,954
14	2016-17	4,52,576	3,47,205	7,99,781
15	2017-18	4,97,322	3,47,205	8,44,527
16	2018-19	4,83,805	4,71,017	9,54,823
17	2019-20	5,38,795	5,31,241	10,70,036
18	2020-21	5,58,121	6,36,583	11,94,704
19	2021-22	7,03,804	7,12,160	14,15,964
20	2022-23	8,99,057	7,77,471	16,76,529
21	2023-24*	10,32,426	9,53,599	19,86,025

***वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऑकड़े अनंतिम है।**

अनुबंध-II

बैंकों से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के ऑकड़ो के संबंध में दिनांक 22.7.2024 के लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 121 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

कर्नाटक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

(राशि करोड़ रूपये में**)**

वर्ष	**खातों की संख्या**	**शेष बकाया**
2009	33,79,874	71,863.43
2010	40,47,384	82,475.35
2011	38,97,943	91,856.43
2012	44,99,933	99,392.53
2013	47,64,525	1,16,989.75
2014	54,17,823	1,57,523.24
2015	60,05,404	1,83,839.69
2016	64,02,717	2,11,283.36
2017	65,43,307	2,02,894.49
2018	76,71,942	2,06,294.99
2019	96,14,160	2,09,922.33
2020	1,05,10,024	2,13,007.82
2021	1,08,98,541	2,14,824.07
2022	1,10,34,354	2,55,504.64
2023	1,22,17,227	2,68,541.23